पंजी0 सं0 S-59990

भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत स्वीकृत

दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360)

द्वारा संचालित

(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

W.Z 548 B/3 नरायणा–गांव, नई दिल्ली–110028

फोन : 25776269

OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A, NEW DELHI-2
Dy No. 3518
Dated 24/5/12

Commr. (Plg) - II
Dairy No. 1962
Date 23-5-12

AC (PLG) MPPR
Dairy No. 430
Date 24/05/12

चौ0 राजेन्द्र सिंह सोलंकी
प्रधान
9811953942

डा. राम निवास सहरावत
महामन्त्री
9811453570

श्री जगदीश तंवर
सचिव
9990966788

चौ0 सुखवीर सिंह सेजवाल
कोषाध्यक्ष
9266728716

चौ0 कृपाल सिंह
सहकोषाध्य

श्रीमति उर्मिला चौधरी
प्रवक्ता
9958555454

क्रमांक D.G.S.M/JS-06/2012 दिनांक 17-5-2012

सचिव कार्यालय
SECRETARY'S OFFICE
डायरी सं० 31 MP
Dy. No.
दिनांक 22/5/12
Date

दिल्ली विकास प्राधिकरण
केन्द्रीय डायरी कक्ष
प्राप्ति एवं प्रेषक (मुख्य)
22 MAY 2012
डायरी सं० R-3500

श्री मान उपाध्यक्ष जी,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई.एन.ए
नई दिल्ली 110023

विषय:- दिल्ली के सभी गांवो की समस्या "दिल्ली मास्टर-प्लान 2021 के सम्बन्ध में, संशोधित हेतु।

मान्यवर जी,

जैसा कि सर्व विदित है कि दिल्ली ग्राम सुधार-महासभा (360) पंजी० दिल्ली सरकार से पंजीकृत ही नहीं अपितु भारत सरकार से स्वीकृत संस्थान भी है, पूर्व में यह संस्था दिल्ली ग्राम विकास पन्चायत के नाम से जानी जाती है।

वर्तमान लोकतन्त्र सरकार से पूर्व ब्रिटिश-भारत सरकार भी इस संस्था का मान सम्मान सहित, इसके द्वारा दिये गये सुझावों एवं मांगो को महत्व देती रही है इसी लिये दिल्ली के सभी ग्रामीण क्षेत्र चाहे वो शहरीकृत गांव की आबादी हो अथवा दिल्ली देहात की। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360) पंजी० इनकी सभी समस्याओं के निवारण हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रही है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी कमेटी की 49वीं रिपोर्ट को एम०सी० डी० द्वारा नकार दिये जाने पर, तथा दिल्ली सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर, एक बात तो पक्की साबित होती है कि दिल्ली के किसी भी गांवों (जो सन् 1908 से पूर्व के बसे हुए है) में मास्टर प्लान 2021 को लागू करना, लोहे के चने चबाना के बराबर है

दिल्ली के गांवो में मास्टर प्लान 2021 लागू करने में एक नहीं, अनेकों-अनेक बाधायें है जिनको पूरा

आयुक्त योजना (I) [illegible] 24/5

AC(MPPR)

Dir (MPR) [illegible] 24/5

ADP(I) [illegible] 24/5

पंजी० सं० S-59990

भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत स्वीकृत

दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360)

द्वारा संचालित

(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

W.Z 548 B/3 नरायणा—गांव नई दिल्ली—110028

फोन : 25776269

चौ० राजेन्द्र सिंह सोलंकी
प्रधान
9811953942

डा. राम निवास सहरावत
महामन्त्री
9811453570

श्री जगदीश तंवर
सचिव
9990966788

चौ० सुखवीर सिंह सेजवाल
कोषाध्यक्ष
9266728716

चौ० कृपाल सिंह
सहकोषाध्यक्ष

श्रीमति उर्मिला चौधरी
प्रवक्ता
9958555454

क्रमांक .... "2" दिनांक ....

करें और इसको गांवो में लागू ही नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर, सरकार के पास किसी भी गांव का ले-आउट प्लान उपलब्ध ना होना, पूरे का पूरा गांव एक ही खसरा नं० में बसा होने तथा अपने 2 घरों में रहते हुए भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ी बाधा होगी। दिल्ली के सभी गांवो में चार से दस या बारह फीट चौड़ी गलियां है, जबकि मास्टर प्लान 2021 में सभी घरों के सामने 30 फीट चौड़ी सड़के प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित सड़के असम्भव तो क्या, कभी बन ही नहीं सकती, चूंकि सन 1908 से पूर्व बसे इन गांवो को बसाने में किसी भी सरकार चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा दिल्ली सरकार या डी.डी.ए एवम् एम.सी.डी. हो, का कोई योगदान नहीं है।

दिल्ली के किसी भी गांव में मास्टर प्लान 2021 लागू होने पर इस गांव की तीन-चौथाई आबादी से भी अधिक प्रभावित होगी। प्रजातन्त्र में यह निश्चित है कि कोई भी सरकार किसी नीति के तहत, इसे क्रियान्वित करने के लिये जन-भावनाओं से नहीं खेल सकती। D.D.A स्वयं एक विकास प्राधिकरण है उससे उजाड़ू प्राधिकरण की क्रियाओं की अपेक्षाएं कैसे की जा सकती है।

इसी लिये दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360) पंजी० का यह आंकलन है तथा D D A को सुझाव है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को, दिल्ली के सभी गांवो से दूर रखा जाये, चाहे वो 136 शहरीकृत गांव हो अथवा 228 दिल्ली देहात की आबादी हो। दिल्ली के गांव एक ऐतिहासिक पहचान है इस पहचान को बनाये रखने में ही सरकार व जनता की भलाई है।

धन्यवाद।

भवदीय
[signature]
सचिव
जगदीश तंवर

185

प्रतिलिपि
दैनिक जागरण कार्यालय
प्यारे लाल भवन, बहादुर शाह मार्ग
आई० टी० ओ० नई दिल्ली